डिप्टी सीएम के आवास का किया घेराव

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल

रीवा, 19 मई . एनएसयूआई ने नीट 2026 में कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को रीवा में जोरदार प्रदर्शन किया. 44 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया.

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में लगी है. पंकज उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक आम घटना बन गई है, जिससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा टूट रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया. एनएसयूआई नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और केंद्रीय मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अब राज्य मंत्री 25 हजार दे सकेंगे स्वेच्छानुदान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल. प्रदेश के राज्य मंत्री भी अब किसी एक मामले में 25 हजार रुपए तक की स्वेच्छानुदान राशि दे सकेंगे. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं. अब तक राज्य मंत्रियों को महज 16 हजार रुपए तक की राशि ही दिए जाने का अधिकार था. इस तरह अब 9 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है. यहां बता दें कि 11 मई को हुई कैबिनेट में इस संबंध में निर्णय लिया गया था. इस तरह कैबिनेट के निर्णय के लगभग एक सप्ताह बाद ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश को 18 मई से प्रदेश में प्रभावी किया गया है. राज्य मंत्रियों की ओर से इस संबंध में लगातार मांग की जा रही थी. उनका तर्क था कि मौजूदा दौर में जिस तरह से जरुरतें बढ़ रही हैं और मंहगाई भी बढ़ रही है. ऐसे में किसी जरुरतमंद की मदद के लिए 16 हजार रुपए की राशि बेहद कम है. इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए. आखिरकार राज्य मंत्रियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी गई है.

तबादलों का दायरा बढ़ा सकती है सरकार

- कैबिनेट में आज पेश हो सकती है प्रदेश की नई तबादला नीति
- मंत्रालय में सबेरे 11 बजे से होगी कैबिनेट बैठक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 मई. प्रदेश की बहुप्रतीक्षित तबादला नीति वर्ष 2026 बुधवार को कैबिनेट में पेश हो सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग ने नई नीति का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है. मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में शासकीय सेवकों के स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर तबादले हो सकेंगे. तबादलों पर लगे प्रतिबंध को एक माह के लिए हटाया जा सकता है. नई नीति में इस बार तबादलों का दायरा बढ़ाया जा सकता है.

कैबिनेट मंत्रालय में प्रात: 11.00 बजे से होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल होगा. दरअसल पिछली कैबिनेट के दौरान ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ संकेत दे दिए थे कि अगली कैबिनेट में तबादला नीति का प्रारूप पेश किया जाए. लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है.

मिले संकेतों के मुताबिक इस बार मंत्रियों के अनुरोध पर स्वैच्छिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर तबादलों की लिमिट में इजाफा किया जा सकता है. अब तक की नीति में शासकीय सेवकों की 200 तक की संख्या वाले विभागों में अधिकतम 20 फीसदी तक ही तबादले हो सकते थे, वहीं उसके बाद संख्या बल के हिसाब से बड़े विभागों को अतिरिक्त रियायत दी गई थी, जिसके लिए एक फार्मूला तय किया गया था. नई नीति में इस फार्मूला का दायदा बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले शासकीय सेवकों को भी ज्यादा मौके मिले, वहीं यदि विभाग प्रशासनिक आधार पर तबादला करना चाहे तो उनके पास भी ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो. पहले तबादलों की लिमिट कम होने से ज्यादा मौके नहीं मिल पाते थे. राज्य सरकार इस समय ज्यादा तबादलों का जाखिम उठा सकता है. ये इसलिए कि अभी विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन अगले वर्ष से सरकार तबादलों का जोखिम कम लेने लगेगी. ये इसलिए भी कि मंत्रियों पर तबादलों के दौरान लेन-देन के आरोप भी लगते हैं, वहीं मंत्रियों के बंगलों पर तबादला चाहने वालों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है.

नई तबादला नीति में ऐसे शासकीय सेवकों को पहले हटाया जाएगा, जिनको एक ही स्थान पर पदस्थ हुए तीन वर्ष से अधिक का समय बीत गया है. वहीं परस्पर तबादला चाहने वाले और ऐसे शासकीय सेवक पति-पत्नी जो कि अलग- अलग स्थानों पर पदस्थ हैं और वे किसी एक ही जिले में पदस्थ होना चाहते हैं, उनको भी तबादलों में प्राथमिकता मिलेगी. तबादलों में जिला संवर्ग के तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्री के पास होगा, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर तबादलों की सूची जारी कर सकेंगे, वहीं राज्य संवर्ग के शासकीय सेवकों के तबादलों का अधिकार विभागीय मंत्री के पास होगा, भारसाधक अधिकारी विभाग के मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादला सूची जारी कर सकेंगे.

एक नजर में

भाजपा कार्यालय में मंत्री कंषाना ने सुनीं समस्याएं

भोपाल. मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंषाना ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए. मंत्री कंषाना ने कहा कि सरकार आमजन और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया, जबकि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं था. उन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया. संवाद के दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

घाटों और पटाखा गोदामों की जांच के निर्देश

उमरिया. जिला कलेक्टर राखी सहाय ने जिले के सभी नाव संचालित घाटों और पटाखा गोदामों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं. जानकारी के अनुसार कलेक्टर सहाय ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि जिन घाटों पर नावों का संचालन होता है वहां नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में पटाखा निर्माण और भंडारण स्थलों की भी नियमित जांच की जाए. यदि कहीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस तत्काल निलंबित किया जाए. कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए. और सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

रेरा चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों की नियुक्ति के लिये उठाएं कदम

- हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिये निर्देश, मांगी रिपोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (रेरा) के चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाएं.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर अगली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव को हाजिर होना पड़ेगा. अगली सुनवाई 23 जून को होगी.

यह मामला रेरा एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल की ओर से दायर किया गया है. जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता एवं राजीव मिश्रा ने पक्ष रखा.

उन्होंने बताया कि रेरा चेयरमैन 14 मार्च 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में न्यायाधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ है. इसके बावजूद, रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. वहीं, राज्य शासन की ओर से दलील दी गई कि रेरा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है. जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये.

गेहूं सड़ने पर राज्य सरकार पर बोला हमला

गरीबों और किसानों के साथ क्रूर मजाक हो रहा :अजय सिंह

सीधी, 19 मई. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश के सरकारी गोदामों में 1 लाख 32 हजार क्विंटल से अधिक गेहूं सड़ने के मामले को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे किसानों की मेहनत का अपमान और गरीबों के साथ क्रूर मजाक बताया. अजय सिंह ने कहा कि अन्नदाता कर्ज, मौसम की मार और खाद-बीज की समस्याओं से जूझते हुए दिन-रात मेहनत कर अनाज पैदा करता है, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण वही अनाज गोदामों में सड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच खरीदा गया गेहूं जबलपुर, उज्जैन, भोपाल और सागर संभाग के गोदामों में खराब हो गया.

निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे हों : सिलावट

भोपाल, 19 मई. तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी नियमित निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री सिलावट ने आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में चल रहे कार्यों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को क्षिप्रा नदी के निर्मल जल में स्नान की सुविधा मिले और उनकी यात्रा सुगम हो.

बैठक में राजेश राजौरा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

इसके अलावा कान्ह डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना, क्षिप्रा नदी घाट निर्माण और उज्जैन, इंदौर व देवास में निर्माणाधीन बैराजों की प्रगति की जानकारी ली गई. मंत्री ने भोपाल स्थित केरवा बांध के क्षतिग्रस्त वेस्ट वियर सुधार कार्य और बिजली लाइन शिफ्टिंग को भी समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. मंत्री सिलावट ने सीएम मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश देते हुए 15 दिनों में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा.

मंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और तापी मेगा रीचार्ज परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

52.60 लाख की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट से धान उपार्जन केंद्र मलघन क्रमांक-2, पन्ना के समिति प्रबंधक एवं सहायक समिति प्रबंधक कोबड़ी राहत मिली है. जस्टिस विवेक सिंह की एकलपीठ ने 52 लाख 60 हजार रुपए की वसूली पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने कहा कि बिना उचित सुनवाई और बिना यह बताइए कि इतनी बड़ी राशि का निर्धारण किस आधार पर किया गया, किसी कर्मचारी पर सीधे नागरिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता. दरअसल यह मामला पन्ना निवासी सुरेश कुमार द्विवेदी एवं सुरेश साहू की ओर से दायर किया गया था. जिसकी ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2026 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, पन्ना द्वारा याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया था.

विंध्य में अवैध नशीले कफ सिरप तस्कर गिरोह का पर्दाफाश

- 11 लाख 88 हजार 918 रुपये का मशरूका जप्त

सीधी, 19 मई. कमर्जी थाना पुलिस ने ऑपरेशन 'प्रहार 2.0' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए विंध्य क्षेत्र में सक्रिय अवैध नशीली कफ सिरप तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 912 शीशी आनरेक्स कफ सिरप और बोलेरो वाहन सहित कुल 11 लाख 88 हजार 918 रुपये का मशरूका जब्त किया है.

पुलिस के अनुसार 18 मई को ग्राम बरिगवां क्षेत्र में जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरो वाहन में भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप सीधी की ओर ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर अमल्लकपुर-कोलघाट मार्ग पर घेराबंदी की गई. इस दौरान कोलघाट रोड के पहाड़ी क्षेत्र में संदिग्ध बोलेरो लावारिस हालत में मिली. तलाशी में पांच बोरियों में रखी 912 शीशी आनरेक्स कफ सिरप बरामद हुई, जिसमें कोडीन फास्फेट पाया गया. पुलिस ने बताया कि जब्त कफ सिरप की कीमत करीब 1.83 लाख रुपये और बोलेरो वाहन की कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है.

वाहन से आरोपी प्रीतम पटेल उर्फ सनी के दस्तावेज, बैंक कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी भी बरामद हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रीतम पटेल उर्फ सनी और अनिल पटेल उर्फ डीजे वाला रीवा क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ लाकर विंध्य क्षेत्र में तस्करी करते थे. पुलिस दबिश की आशंका पर आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. मामले में एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

रूटीन तरीके से नहीं कर सकते अग्रिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग

नवभारत न्यूज

जबलपुर. हाईकोर्ट जस्टिस राम कुमार चौबे की एकलपीठ ने अपने अहम आदेश में कहा है कि जमानत एक स्वविवेक का अधिकार है परंतु अग्रिम जमानत देने का अधिकार खास तरह का है। गंभीर मामलों में आरोपी को अंतरिम सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने से न्याय में चूक हो सकती है। जांच में काफी हद तक रुकावट आ सकती है क्योंकि इससे कभी-कभी सबूतों से छेड़छाड़ या ध्यान भटक सकता है। अग्रिम जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल रूटीन तरीके से नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए।

पन्ना जिले के सिमरिया थाना पुलिस के द्वारा एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज किये गये प्रकरण में आरोपी बनाये गये बब्लू उर्फ राम पाल यादव की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि उसके मवेशी शेड से पुलिस ने 65 लीटर शराब जब्त करते हुए भतीजे अनुज यादव को गिरफ्तार किया था।

डी-स्लेजिंग मशीन खरीदी पर सियासत गरम अध्यक्ष बोले-भुगतान ही नहीं हुआ तो घोटाला कैसा?

नवभारत न्यूज

सैलाना। नगर परिषद में डी-स्लेजिंग मशीन एवं ट्रैक्टर खरीदी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा लगाए गए कथित घोटाले के आरोपों पर परिषद अध्यक्ष चेतन्य शुक्ला ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मशीन खरीदी का भुगतान ही अब तक नहीं हुआ है, ऐसे में घोटाले का आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। नगर परिषद कार्यालय में प्रेसवार्ता में अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि विधायक को पहले ही संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे, जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि मशीन खरीदी का भुगतान अभी लंबित है। इसके बावजूद घोटाले जैसे आरोप लगाना न केवल गलत है बल्कि पूरी परिषद की छवि खराब करने का प्रयास भी है। अध्यक्ष ने बताया कि 13 मई 2026 को शासन द्वारा संयुक्त खाते में 17 लाख 10 हजार रुपए जमा किए गए हैं, लेकिन अंतिम भुगतान वरिष्ठ कार्यालय द्वारा किया जाना शेष है। इसकी जानकारी विधायक को भी दी जा चुकी थी। पत्रकार वार्ता में नगर परिषद से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।

यह है मामला: शुक्ला के अनुसार परिषद ने 29 नवंबर 2024 को डी-स्लेजिंग मशीन मय ट्रैक्टर खरीदी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। 26 दिसंबर 2024 को पीआईसी से स्वीकृति मिली तथा 2 जून 2025 को शासन स्तर से अनुमति प्राप्त हुई। 6 जून 2025 को ऑनलाइन टेंडर जारी किए। 8 टेंडरों में से 6 अपात्र घोषित हुए। शेष 2 में से हिन्द ट्रेडिंग कंपनी इंदौर का 18 लाख 98 हजार रुपए का टेंडर स्वीकृत कया।

पति के लेट आने पर पत्नी ने लगाई फांसी

ग्वालियर. देर रात जब पति लेट घर आया तो पत्नी नाराज हो गई और पति से विवाद हो गया. नाराज पति गुस्से में घर से चला गया. नाराज पत्नी ने कमरा बंद किया और फांसी लगाकर जान दे दी. घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सुरेश नगर स्थित सरकारी मल्टी की है. घटना का पता उस समय चला जब बेटे ने मां का शव फांसी पर लटके देखा तो शोर मचाया. मामले का पता चलते ही पति सहित पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दीवार तोड़कर महिला को फंदे से उतार कर उपचार के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मर्ग कायम कर लिया है.

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 29-दिसंबर-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति, फीनिक्स आर्क लिमिटेड (पूर्व में फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को सौंप दिए हैं, जो फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है - ट्रस्ट एफवाय 26-14

(फीनिक्स) सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए. अत:, उक्त आवंटन के मद्देनजर, फीनिक्स अब IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और फीनिक्स उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अपने अधिकारों और लाभों को लागू करने का हक़दार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है.

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे उल्लिखित तिथि से कब्जा कर लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री गणेश पंवार, श्रीमती कविता पवार (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10110239)	प्लॉट संख्या 224, सिंगापुर ग्रीन व्यू, प्रीमियम N × 2, ग्राम बिज्जूखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर 453771, क्षेत्रफल प्रशासनिक विवरण (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, विक्रय योग्य क्षेत्र,अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल: 600.00, 600.00, 600.00	रुपये 991326/- (रु. नौ लाख इक्यानवे हजार तीन सौ छब्बीस मात्र)	04-12-2025	16-05-2026
श्रीमती हेमलता श्री राकेश सरोडे श्री राकेश सरोडे (प्रॉस्पेक्ट नं. 906920)	प्लॉट संख्या डी-14 (डी-14-ए), पुमार्थ मीडोज, ग्राम सुलाखेड़ी, इंदौर 453771 के दक्षिणी भाग का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल क्षेत्रफल: 400	रुपये 822626/- (रु. आठ लाख बाइस हजार छह सौ छब्बीस मात्र)	04-12-2025	16-05-2026
श्री जय दीप, श्री भगवत नारायण, श्रीमती इंद्रा देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10192764)	फ्लैट संख्या 202, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक बी-01, गुलमार्ग परिसर, इंदौर नगर निगम, 2018/19, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 का पूरा भूखंड. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: सुपर_बिल्ट_अप_एरिया, कारपेट_एरिया. संपत्ति का क्षेत्रफल: 943.00, 600.00	रुपये 1163836/- (रु. ग्यारह लाख तिरेसठ हजार आठ सौ छत्तीस मात्र)	13-10-2025	16-05-2026
श्रीमती योगेश्वरी मेहरा श्री योगेश धनगर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10269063)	प्लॉट संख्या 103, गिरिराज वैली-II, ग्राम - खर्दाखेड़ा, तहसील- महू, जिला- इंदौर-453441 का पूरा टुकड़ा और भूभाग. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, विक्रय योग्य_क्षेत्रफल, अतिरिक्त_निर्मित_क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफल: 600.00, 520.00, 600.00	रुपये 734239/- (रु. सात लाख चौंतीस हजार दो सौ उन्चालीस मात्र)	17-10-2025	16-05-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के साथ-साथ संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं संपत्ति.

स्थान: इन्दौर, दिनांक 20-5-2026 — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व में 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था)

सीआईएन क्रमांक-67190MH2007PLC168303 वेबसाइट: www.phoeni&arc.co.in जीपीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वॉलेस टावर्स, 139/140/B/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे का चौराहा, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. दूरभाष: +91 02268492450.

पत्रकारों से बातचीत | समिति के संरक्षक ने कहा- 'हर दिन पूजा का अधिकार'

भोजशाला में फैसले के बाद पहले मंगलवार को हुआ हवन-पूजन

धार, 19 मई. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद धार की भोजशाला में पहले मंगलवार को हवन-पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया.

भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भोजशाला में साप्ताहिक सत्याग्रह और अनुष्ठानों से भक्तों को मां वाग्देवी की साल भर पूजा करने का अधिकार बहाल हुआ. विश्वास पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम हर मंगलवार को अपने सत्याग्रह के पूर्ण होने की उम्मीद के साथ यहां आते थे. भोजशाला एक तरह से कैद थी, क्योंकि सिर्फ हर मंगलवार को पूजा का अधिकार था. हमारी मांग थी कि 365 दिन हमें पूजा का अधिकार मिले. इसीलिए हमलोग हर मंगलवार को यहां आकर मां के स्थान पर हवन-पूजन करते थे. भोजशाला में अब 365 दिन पूजा का अधिकार मिला है.

विश्वास पांडे ने आगे कहा कि दिल्ली से भी हमें अच्छी खबर मिल रही है कि मां की प्रतिमा को लंदन से लाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं. जल्द ही मां के उसी स्थान पर विराजित होने को लेकर हमें खुशी हो रही है. हमारा सत्याग्रह उसी दिन पूर्ण होगी.

मां वाग्देवी की भक्त गायत्री पुरोहित ने भोजशाला मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह उत्सव हर एक सनातनी का है. इस उत्सव को लेकर सभी काफी खुशी हैं. मां वाग्देवी से हम सब की यही प्रार्थना थी कि जल्द आप कृपा करें. आज तक आपने हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी है. अब हमको ममता दीजिए और यहां आकर विराजमान होइए.

गायत्री पुरोहित ने कहा कि मैं देश के सभी युवाओं की ओर से इस सत्याग्रह में मौजूद थी. मेरा मानना है कि दूर होने के कारण कई युवा यहां आ नहीं पा रहे हैं. हर युवा की आस्था की ओर से मां वाग्देवी को अपने हृदय से प्रणाम किया है. उन्होंने कहा कि लंदन से मां वाग्देवी की प्रतिमा जरूर आएगी. उन्होंने कहा कि जल्द ही मां वाग्देवी इस मंदिर में विराजमान होंगी.

721 साल बाद शुक्रवार को होगी महाआरती

भोजशाला परिसर में आगामी शुक्रवार 22 मई को महाआरती आयोजित किए जाने की तैयारी तेज हो गई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई गाइडलाइन और इंदौर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद हिंदू समाज ने भोजशाला में पूजन-अर्चन और महाआरती करने की घोषणा की है. पत्रकार वार्ता में हिंदू नेता अशोक जैन ने कहा कि करीब 721 वर्षों बाद शुक्रवार के दिन हिंदू समाज को अधिकारपूर्वक भोजशाला में पूजा करने का अवसर मिलेगा.

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक, वाणिज्य विभाग, एनएफआर सेक्शन, मुंबई सेंट्रल - मुंबई - 400 008

कार्य: मुंबई मंडल पर विभिन्न एनएफआर (गैर-किराया राजस्व) मीडिया के माध्यम से विज्ञापन का प्रदर्शन

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ होने का समय
MMCT-ADVT-26-10	5-6-2026 दोपहर 15.00 बजे से

क्र.	लॉट संख्या	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी बंद होने की तिथि और समय
1.	ADVT-BCT-KHAR-OSD-478-26-1 (विज्ञापन- स्टेशन परिसर में (डिजिटल)	खार स्टेशन पर डेक पर 5 वर्ष की अवधि के लिए वीडियोवॉल के थोक विज्ञापन अधिकार	1826	5-6-26/15.30
2.	ADVT-BCT-KHAR-OSN-479-26-1 (विज्ञापन - स्टेशन परिसर में (गैर-डिजिटल))	खार स्टेशन पर डेक पर बैटनी व्यवस्था के साथ ग्लो लॉलीपॉप के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए थोक विज्ञापन अधिकार	1096	5-6-26/15.40

संपर्क और महत्वपूर्ण जानकारी: लैंडलाइन नंबर: 02267644212, ईमेल आईडी: acmadvtgbct@gmail.com

सूचना:- इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल पर जाएं. लॉट-वार विवरण उल्लिखित कैटलॉग के तहत वहां उपलब्ध हैं. 0129

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly